

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

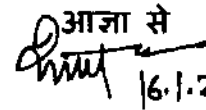
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश./ 163 /2021

दिनांक : 16.01.2021

श्रीमती हेमलता धाणदिया (RJ0953), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिण्डवाडा (सिरोही) को दिनांक 25.01.2021 से 23.07.2021 तक 180 दिनों का मातृत्व अवकाश (द्वितीय संतान) दिनांक 23.01.2021 से 24.01.2021 एवं 24.07.2021 से 25.07.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री सागर माथुर (RJ0834), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, पिण्डवाडा (सिरोही) को श्रीमती हेमलता धाणदिया के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिण्डवाडा (सिरोही) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्री सागर माथुर (RJ0834), जिनको सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिण्डवाडा (सिरोही) के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से
 16.1.2021

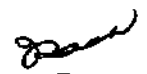
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/120/2015/ 477

दिनांक : 16.01.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिरोही को उनके पत्रांक 5454 दिनांक 19.12.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती हेमलता धाणदिया (RJ0953), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिण्डवाडा (सिरोही)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिण्डवाडा (सिरोही)।
5. श्री सागर माथुर (RJ0834), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, पिण्डवाडा (सिरोही)।
6. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, पिण्डवाडा (सिरोही)।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।


सहायक रजिस्ट्रार